



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2389]

No. 2389]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2014/अग्रहायण 5, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2014/AGRAHAYANA 5, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

विषय : दिनांक 12.02.2014 के का.आ. सं. 381(अ) द्वारा अधिसूचित दिल्ली में फार्म हाऊसों के नियमितीकरण के लिए विनियमों के संबंध में अनुशेष/संशोधन ।

(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का.आ. 2973(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली में फार्म हाऊसों के नियमितीकरण के लिए विनियमों जिन्हें दिनांक 12.02.2014 की अधिसूचना का.आ. सं. 381(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था, में पैरा 1.2 (ix) के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन करता है :

संशोधन

क्र.सं.	दिनांक 12.2.2014 के विनियमों में मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
2.	पैरा 1.2 (viii) यह एक बारगी राहत, स्वामी द्वारा दरों की अधिसूचना के 360 दिनों के अंदर आवेदन करने और इस प्रकार के नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रभारों के भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है ।	पैरा 1.2 (viii) यह एक बारगी राहत, स्वामी द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक आवेदन करने और इस प्रकार के नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रभारों के भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है ।

[फा. सं. एफ.3(103)96—एमपी]

बृजेश कुमार मिश्र, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2014

Sub: Addendum/Modification to Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi notified vide S.O. No. 381(E), dated 12.2.2014

(Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 2973(E).— In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following amendments/modification in terms of Para 1.2 (ix) to the Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi which were notified *vide* Notification S.O. No. 381(E), dated 12.2.2014:

AMENDMENTS

S.No.	Existing Provision in the Regulations dated 12.02.2014	Proposed Modification /Amendments
2.	Para 1.2 (viii) This one time amnesty can be availed by the owner by applying within 360 days of the Notification of rates and payment of the prescribed charges for such regularization.	Para 1.2 (viii) This one time amnesty can be availed by the owner by applying till 31.03.2015 and payment of the prescribed charges for such regularization.

[F. No: F.3(103)96-MP]

BRIJESH KUMAR MISHRA, Commissioner-cum-Secy.